

दिनांक-29.04.2026 को निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:-

- (1) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
- (2) श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
- (3) श्री ललित राही, विशेष कार्य पदाधिकारी

2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:-

I. पंचायत सरकार भवन में आधार (AADHAAR) सेवा उपलब्ध कराने की अद्यतन स्थिति:-

विदित हो कि दिनांक-15.04.2026 से 2000 पंचायतों में आधार सेवा शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 1805 पंचायतों में Desktop, 91 पंचायतों में Wired Internet Connection उपलब्ध है। केवल बांका जिले द्वारा ही आधार किट का क्रय किया गया है। लक्ष्य को देखते हुए सभी DPRO को निदेश दिया गया कि अबिलंब पंचायत से आधार किट क्रय कराना सुनिश्चित करेंगे।

सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि 07 दिनों के अंदर आधार सेवा शुरू करने हेतु पंचायतों में बचे हुए कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन पंचायतों में Wired Internet Connection उपलब्ध नहीं है वहां यथाशीघ्र Internet Connection install करना सुनिश्चित करेंगे। सभी संबंधित कार्यपालक सहायक को LMS पर प्रशिक्षण कर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का निदेश दिया गया। इसकी प्रक्रिया विस्तृत रूप से बताया गया है।

(अनुपालन:-बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

II. मुक्तिधाम, शवदाह-गृह, मृत्यु प्रमाण-पत्र की अद्यतन स्थिति:-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार में कुल 7802 स्थलों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें से प्रतिवेदित माह में 165 अंत्येष्टि की गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्धारित अवधि के अंदर 373 मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत की गयी है। सभी DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि शमशान/कब्रिस्तान में किये गये अंत्येष्टि के मृतकों का मृत्यु प्रमाण-पत्र 24 घंटे के अन्दर मृतकों के संबंधितों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के अन्दर मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित मुखिया द्वारा मोक्षधाम/शवदाह-गृह के निर्माण हेतु GPDP में शामिल कराने का अनुरोध किया गया। प्रखंड मुख्यालय अवस्थित पंचायत में मोक्षधाम/शवदाह-गृह का निर्माण पंचायत समिति के द्वारा किया जाना है, इसलिए इसे BPDP में शामिल कराने का अनुरोध किया गया।

विभाग के द्वारा प्रेषित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर स्थल विशिष्ट (Site Specific) प्राक्कलन तैयार कर नियमानुसार मोक्षधाम/शवदाह-गृह का निर्माण किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

विदित हो कि बिहार विकास मिशन द्वारा प्रत्येक 15 दिनों पर मोक्षधाम की समीक्षा की जाती है। निदेशित किया जाता है कि सभी DPRO नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

निर्गत किये गये मृत्यु प्रमाण-पत्र से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु एक पोर्टल तैयार किया गया है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि इससे संबंधित सभी जानकारियों को पोर्टल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:-बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. पंचायत सरकार भवन के हस्तांतरण एवं क्रियाशीलता की अद्यतन स्थिति:-

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार में ग्राम पंचायत द्वारा 140, LAEO के द्वारा 367 एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा 322 निर्मित पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया, परन्तु गया जी, समस्तीपुर, भागलपुर, पटना, पूर्वी चंपारण एवं गोपालगंज जिलो द्वारा उसका हस्तांतरण कर क्रियाशील करने की प्रगति असंतोषजनक है। सभी DPRO को निदेशित किया गया कि निर्माण एजेंसी से समन्वय कर एक सप्ताह के अंदर विधिवत ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करना सुनिश्चित किया जाए।

लगातार.....

(ख) निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार में कुल 2918 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया है जिसमें से 2443 पंचायत सरकार भवन संचालित है।

संचालित पंचायत सरकार भवनों में 105 में बैंक, 2435 में RTPS केन्द्र, 900 में Post Office, 381 में NOFN, 794 में पुस्तकालय एवं 14 में सुधा पार्लर का संचालन किया जा रहा है। सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

(ग) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण किये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक तकनीकी सहायक द्वारा तैयार 708 पंचायतों के प्राक्कलन के विरुद्ध 581 पंचायतों में तकनीकी स्वीकृति तथा 355 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो चिन्ताजनक है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में पंचायत सरकार के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित है, उन पंचायतों में 15 दिनों के अंदर तकनीकी स्वीकृति लेना सुनिश्चित किया जाए तथा जिन पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, उन पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें।

कतिपय यह पाया गया है कि तकनीकी सहायक द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन को जब LAEO के मुख्य/कार्यपालक/अधीक्षण अभियंता को तकनीकी स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो उसमें कुछ कमियों को उजागर कर वापस कर दिया जाता है जिससे पंचायत सरकार भवन के निर्माण में अनावश्यक विलंब होता है। सभी DPRO को निदेश दिया जाता है कि संबंधित तकनीकी सहायक को संबंधित अभियंता के पास भेजकर त्रुटियों का निराकरण हाथों-हाथ कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:-बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-राह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना:-

(क). मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक-31.03.2026 तक चतुर्थ चरण में सभी सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया जाना था परंतु अद्यतन स्थिति तक भागलपुर में एक भी सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन नहीं किया गया है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी तथा इस संबंध में भागलपुर के DPRO को निदेश दिया गया कि एकरारनामा की शर्तों के अनुसार संबंधित एजेंसी पर Penalty लगाकर विभाग को सूचित करें। जिन-जिन जिलों में एजेंसी द्वारा एकरारनामा की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उनके विरुद्ध एकरारनामा के शर्तों के आलोक में कार्रवाई कर विभाग को सूचित किया जाए। सभी DPRO को निदेशित किया गया कि अप्रैल माह के अंत तक शत-प्रतिशत सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जाए।

लगातार.....

चतुर्थ चरण में कार्यरत एजेंसी द्वारा भागलपुर में 32%, मधेपुरा में 42% एवं बेगूसराय में 58% ही Material Supply की गयी है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि यथाशीघ्र संबंधित एजेंसी पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख). सभी चरणों को मिलाकर मधेपुरा, भागलपुर, सहरसा, जमुई, सारण एवं पूर्वी चंपारण जिलों में कार्यादेश के विरुद्ध अधिष्ठापन का प्रतिशत काफी कम है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में शेष सोलर स्ट्रीट लाईट को चतुर्थ चरण में कार्यरत एजेंसी को हस्तांतरित करते हुए 15 दिनों के अंदर अधिष्ठापन कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। सभी DPRO नियमित रूप से सोलर स्ट्रीट लाईट का जांच कर प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

सभी DPRO को निदेश दिया गया कि सोलर स्ट्रीट लाईट की अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु जिला स्तर पर LED Display Pannel यथाशीघ्र लगाया जाय ताकि आम जनमानस को भी सोलर स्ट्रीट लाईट की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके। इसके संबंध में पूर्व में आवंटन भेजा जा चुका है।

(ग). जिलों द्वारा प्रावधानित 25% भुगतान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नवादा, जहानाबाद, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी एवं समस्तीपुर जिलों में सभी चरणों में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा, वैशाली, नवादा, औरंगाबाद, पटना, सारण, सहरसा एवं बक्सर जिलों में सभी चरणों में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि ग्राम पंचायत सर्वप्रथम सोलर स्ट्रीट लाईट का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। सोलर स्ट्रीट लाईट के भुगतान के उपरांत ही अन्य योजनाओं का भुगतान करेंगे।

(घ). पंचायत सचिव द्वारा निरीक्षण किये गये सोलर स्ट्रीट लाईट के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूरे बिहार में निरीक्षण के समय मात्र 90% लाईट ही ON पायी गयी जिसमें से औरंगाबाद, भोजपुर, खगड़िया एवं किशनगंज जिले की स्थिति चिंताजनक है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि Service Centre का नियमित निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालन:—सभी जिलों के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् / जिला पंचायत राज पदाधिकारी)


लगातार.....

V. RGSA- UC & Audit Status

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक- 31.03.2026 तक कुल ₹29.05 करोड़ की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है, जिसमें से गया, गोपालगंज, खगड़िया, मधेपुरा, नालंदा, पटना, रोहतास, सिवान एवं सुपौल जिलो की स्थिति चिंताजनक है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर Audit कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।


(अनुपालन:- बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।



(नवीन कुमार सिंह)
निदेशक

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना


ज्ञापांक:-950/प्र0-08-802(खण्ड)/2016/7048/...../पं0रा0 पटना, दिनांक 08/5/2026
प्रतिलिपि:-बिहार के सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


8.5.26
(निर्मय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांक:-950/प्र0-08-802(खण्ड)/2016/7048/...../पं0रा0 पटना, दिनांक 08/5/2026
प्रतिलिपि:-सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


8.5.26
(निर्मय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांक:-950/प्र0-08-802(खण्ड)/2016/7048/...../पं0रा0 पटना, दिनांक 08/5/2026
प्रतिलिपि:-आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।


8.5.26
(निर्मय कुमार सिंह)
अवर सचिव